

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हलिमों पत्नि सिकिया जाति मुसलमान, निवासी बोहरासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		मुराद खां पुत्र बेगला जाति मुसलमान, निवासी बोहरासर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (15)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88, 188, 207 व 209)

मुकदमा नम्बर 36/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------

05.03.2024

प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री अभय सिंह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र/राजस्व वाद/अपील धारा 88, 188, 207 व 209 राज. काशकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

2020-39
5-03-24

27.3.24

पत्रावली पेश हुई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 4.4.24 को पेश हो।

4.4.24

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 5.5.24 को पेश हो।

6.5.24

श्रीमान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 5.5.24 को पेश हो।

15.5.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।

वादी अधिवक्ता डा. ए. विजयेश्वरी स्तंभ 8 की फोटो की सूचना देते हुए 022124 का आदेश पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल।



सहायक कलक्टर
(SDO) शिव



तारीख
हुकम

सुप्रीम

24.2.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इल्टवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 01.4.26 को पेश हो।

01.04.26

पत्रावली पेश। वास्तुनाय उपस्थित।
पत्रावली वाले प्रतिवादी छंटमा 1 से 3 के
जवाब हेतु दिनांक 6.5.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

6.5.26

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में चैरवी हेतु वादी व वकील वादी को
न्यायालय समय में रुक-रुककर आवाजे दी जाने
के बावजूद कोर्टे उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में
प्रभावी चैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर
पत्रावली इसी स्टेज पर अडम छजरी व अडम
चैरवी में खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल लेकर नम्बर से कम लेकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)